2

संख्या 112 लो0नि0-2 / 2004-04(प्रा.आ.) / 2004

प्रेषक,

टी. के. ए.,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य अभि... ...-1,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तरांचल, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक 06 फरवरी, 2004

विषय: वित्तीय वर्ष 2003-04 में 95 नये कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न सूची में उल्लिखित आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये 95 (पिचानबे) कार्यों के आगणन लागत रु0 1998.68 लाख के परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी रु0 1980.62 लाख (रुपये उन्नीस करोड अस्सी लाख बासठ हजार मात्र) के लागत के आगणन की उनके सम्मुख अंकित विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रत्येक कार्य हेतु उसके सम्मुख कालम् 6 में इंगित कुल रु0 17.80 लाख (रुपये सत्रह लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि के व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियंता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

3- कार्य कराने से पूर्व अपेक्षित भूमि का अधिग्रहण एवं विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5- एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

......2

7- कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भू-गर्भवेत्ता के साथ अ [illegible] करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थलि आवश्यकतानुसार निर्देशें तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

8- आगणन में [illegible] मदो हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।

9- निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।

10- कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण ऐजन्सी/अधिशासी अभियंता का होगा। समयबद्ध रूप से कार्य करने हेतु सम्बन्धित अधिकारी / निर्माण ऐजेन्सी से अनुबन्ध कर पैनल्टी क्लास लगाये जाने पर विचार कर सकते हैं।

11- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31-3-2004 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय।

12- आगामी किश्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

13- इस कार्य में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2003-04 में अनुदान संख्या-22 के लेखा शीर्षक -5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04 जिला तथा अन्य सड़कें -आयोजनागत -800 -अन्य व्यय -03-राज्य सेक्टर-02-नया निर्माण कार्य -24 वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

14- यह आदेश वित्त अनुभाग-3 के अशा0 संख्या 2752 वित्त अनुभाग-3/2004 दिनांक 05 फरवरी, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(टी. [illegible] पंत)
उप सचिव।

संख्या: 12-(1)लो0नि0-2/2004 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तरांचल, इलाहाबाद/देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. श्री एल.एम. पंत, अपर सचिव वित्त (बजट अनुभाग), उत्तरांचल शासन।
4. मुख्य अभियंता स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी/अल्मोड़ा।
5. समस्त जिलाधिकारी/ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी को मा0 मुख्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
7. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
8. समस्त अधीक्षण अभियंता, लो.नि.वि. उत्तरांचल।
9. वित्त अनुभाग-3/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन।
10. लोक निर्माण अनुभाग-1, उत्तरांचल शासन।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(एल.के. पंत)
उप सचिव।

BO PWD 2004/s05/27-28

	निर्माण	2.00	27.80	27.80	0.15
83	बागेश्वर में कमेड़ीदेवी से भर्कटिया मोटर मार्ग का निर्माण स्याकोट मोटर मार्ग का	2.00	27.803	27.80	0.15
84	झोपड़ा से शिखर तक मोटर मार्ग का निर्माण	4.00+ 84 मी० सेतु	207.64	207.64	2.00
85	बागेश्वर / पिथौरागढ़ में कन्यालटी (नायनी) से नामती चेटा बगड़ मोटर मार्ग का निर्माण सेतु सहित	3.50	48.65	46.65	0.20
86	सुनौली दड़माण मोटर मार्ग का नव निर्माण	3.00	41.70	41.70	0.30
87	कोटिला गवाड मोटर मार्ग का नव निर्माण	3.00	41.70	41.70	0.30
88	अरमोली धमौनी कुनस्यारी तिपोला मोटर मार्ग का नव निर्माण	2.00	27.80	27.80	0.20
89	पारकोट–जाख दैनाली मोटर मार्ग का नव निर्माण	5.00	102.00	100.00	0.50
90	विकास खण्ड ताड़ीखेत के अंतर्गत थपलाडी दैना मोटर मार्ग	4.00	30.52	30.40	0.20
91	सेनी तिलालीखेत–घमदखान मोटर मार्ग का डामरीकरण	1.50	13.00	13.00	0.10
92	धितई पैटशाल भेटा डानी मोटर मार्ग का डामरीकरण	0.330	3.08	2.91	[illegible]
93	शेराघाट से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भैंसियाछाना तक सी.सी. रोड में रेलिंग लगाने का कार्य	0.020	5.80	5.24	0.10
94	राज्य मार्ग सं0 6 के कि.मी. 213 हटोला में काजवे का निर्माण		7.30	7.13	[illegible]
95	विधान सभा जसपुर के अन्तर्गत जसपुर अमान गढ से जसपुर पतरामपुर मार्ग तक लिंक मार्ग का निर्माण				17.80
	योग – 95 कार्य		1998.68	1980.62	

(रुपये सत्रह लाख अस्सी हजार मात्र)

(टी.के. पंत)
उप सचिव।